(2.1) (23)

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव का औचित्य एवं आवश्यकता

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0–787/01(110)/XXVII(1)/2017/दि0–16.08.2017/नाबार्ड के द्वारा रु0 2142.52 लाख की प्रदान हुई है। उक्त परियोजना का निर्माण लोहाघाट के समीप कोलीढेक ग्राम के लोहावती नदी में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में अभी तक कोई झील नहीं है। प्रस्तावित स्थल में वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है जिसका वनभूमि प्रस्ताव तैयार किया गया है। पर्यटन की दृष्टि से झील का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में मायावती आश्रम नामक स्थल पर्यटक स्थल भी है। यह स्थल टनकपुर–पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के 114 किमी0 लोहाघाट से मात्र 2.5 किमी0 की दूरी में स्थित है। झील के निर्माण से लोहाघाट, कोलीढेंक, बन्दलाढेक, कर्णकरायत, कलचौड़ा, फोर्ती आदि ग्रामों को पानी की सुविधा प्राप्त होगी।

उपरोक्त परियोजना के निमार्ण हेतु अन्य भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण वनभूमि में झील का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित झील का निर्माण ग्राम–कोलीढेक की सीमा एवं ग्राम–फोर्ती की सीमा में किया जाना है। इस नदी में बारहमासी पानी रहता है। झील के निर्माण के पश्चात् झील में मत्स्य पालन सरकार की ओर से किया जायेगा, जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। झील के निर्माण के पश्चात् लोहाघाट एक पर्यटक स्थल के रुप में जाना जायेगा, जिस कारण इस क्षेत्र में बसे व्यापारियों एवं आम जनता को उघोग का मौका मिलेगा। उनकी आय में वृद्धि होगी।

उपरोक्तानुसार झील में मात्र 1.308 हे0 वन पंचायत एवं 3.192 सिविल भूमि कुल 4.500 हे0 प्रभावित हो रही है। अन्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण विशेष परिस्थिति में झील का निर्माण वनभूमि में किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार 4.500 हे0 वनभूमि प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
जिलेदार
सिंचाई उपखण्ड चम्पावत

(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता प्रथम
सिंचाई उप खण्ड लोहाघाट
जनपद- चम्पावत

(हस्ताक्षर)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
लोहाघाट
ह0/
(प्रयोक्ता एजेन्सी)